उत्तराखण्ड वन विकास निगम
सूचना का अधिकार अधिनियम –2005

संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य

वनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी रहा है । उत्तराखण्ड राज्य भी उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन से ही बना हैं एवं वन प्रबन्धन में उत्तराखण्ड के वनों में सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबन्धन आरम्भ हुआ था। वनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन में वन क्षेत्रों के पुनर्जनन / पुनरोत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिन वृक्षों को निस्तारण किया जाना उचित पाया गया, उन वृक्षों को निस्तारित करने की प्रक्रिया में ठेकेदारी प्रथा का उद्भव हुआ था एवं ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदारों द्वारा अधिकाधिक लाभ अर्जन के उद्देश्य से वन विदोहन सम्बन्धी दिशा–निर्देशों/नियमों की अवहेलना आरम्भ हुई। अनियमित एवं अवैध पातन की घटनाओं के उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होने के साथ–साथ ठेकेदारों द्वारा विक्रय मूल्य का पूर्ण व निर्धारित समय पर वन विभाग को भुगतान न करने की प्रवृत्ति के कारण राज्य प्रशासन को प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की राजस्व की क्षति होने लगी व कई प्रकरण सम्बन्धित न्यायालयों को भी सन्दर्भित किए जाने के कारण वनों के पुनरोत्पादन की प्रक्रिया में बाधायें आयीं ।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम की स्थापना उ0प्र0वन निगम (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के शासनादेश संख्या 07/विधायी एवं संसदीय कार्य 2001 दिनांक 17 मई 2001 द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई –

'राज्य में वनों के अपेक्षाकृत अच्छे परिरक्षण, पर्यवेक्षण तथा विकास और वन उपज के अपेक्षाकृत अच्छे विदोहन तथा उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए एक निगम की स्थापना'

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अध्याय–3 में निगम के कृत्य और उसकी शक्तियॉ दर्शित की गई है जो कि निम्न प्रकार हैः–

निगम के कृत्य

उपबन्ध 14– इस अधिनियम के उपबन्धों तथा राज्य सरकार के किन्ही सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुये निगम के निम्नलिखित कृत्य होगें अर्थातः–

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये वृक्षों को हटाना और उनका निस्तारण करना तथा वन सम्पदा का विदोहन करना,

(ख) राज्य के भीतर वन विभाग से सम्बन्धित परियोजनायें तैयार करना,

(ग) वन तथा वन उत्पाद से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यक्रम चलाना और वन विज्ञान से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार को तकनीकी सलाह देना,

(घ) ऐसे वनों का प्रबन्ध, अनुरक्षण तथा विकास करना जो उसे राज्य सरकार द्वारा अन्तरित किये जायें अथवा सौंपे जायें ।

(ड) ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिनकी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अपेक्षा की जाए ।

निगम की शक्तियॉ :

उपबन्ध–15 निगम को इस अधिनियम के उपबन्धों के रहते हुए ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो इस अधिनिम के अधीन इस कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हों ।

(1) पूर्ववर्ती उपबन्ध की आवश्यकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अर्न्तगत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी ।

(2) वन के कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए कर्मशालायें अथवा कारखाने स्थापित करना ।

(3) प्रयोगशालाओं और प्रायोगिक तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना,अनुरक्षण तथा प्रचालन करना।

(4) किसी व्यक्ति से ऐसी संविदा अथवा अनुबन्ध करना जिसे निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे।

(5) धन उधार लेना, ऋण–पत्र जारी करना और अपनी निधियों का प्रबन्ध करना, और

(6) व्यय करना तथा ऐसे व्यक्तियों को ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत करना जिसे निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।

निगम की अन्य व्यक्तियों की प्रेरणा पर परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने की शक्ति उपबन्ध–16 निगम राज्य सरकार के अनुरोध पर अथवा, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर, किसी वन रोपण परियोजना के निष्पादन को, ऐसे निबन्धनों को तथा शर्तों, पर जिसके बारे में सहमति हो जाय, अपने हाथ में ले सकता है।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम की संरचना

उ0प्र0 वन निगम (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2001 के प्राविधानों के अनुरूप उत्तराखण्ड वन विकास निगम एक प्रबन्ध मण्डल की अधीन कार्य करेगा। प्रबन्ध मण्डल की संरचना निम्नवत होगी :–

1.	अध्यक्ष	–	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
2.	सचिव, वन एवं पर्यावरण	–	सदस्य
3.	सचिव, वित्त	–	सदस्य
4.	सचिव औद्योगिक विकास	–	सदस्य
5.	प्रमुख वन संरक्षक	–	सदस्य
6.	प्रबन्ध निदेशक	–	सदस्य/सचिव
7.	शासन द्वारा नामित	–	अशासकीय सदस्य
8.	शासन द्वारा नामित	–	अशासकीय सदस्य
9.	शासन द्वारा नामित	–	अशासकीय सदस्य

वन विकास निगम का स्वीकृत ढॉचा

संख्या–492/**X-3-16-08(25)**/टी.सी.

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग –3 देहरादूनः दिनांक – 24 अगस्त, 2016

विषय :– उत्तराखण्ड वन विकास निगम के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–6453/एक्स–1–2006–8(25)/2001 टी0सी0, दिनांक 05 जून, 2007 एवं आपके पत्र संख्या– 1578/9–1–2/संगठनात्मक ढांचा दिनांक 10 जून, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कार्मिक ढांचे का निम्नवत संरचानात्मक पुनर्गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.स.	पदनाम	वेतनमान(रु0में)	पूर्व में स्वीकृत पद	संशोधन के उपरान्त प्रस्तावित स्वीकृत पद	पूर्व में स्वीकृत अधिसंख्या पद	संशोधन के उपरान्त प्रस्तावित अधिसंख्य पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अध्यक्ष	राज्य सरकार द्वारा नामित	1	1			
2	प्रबन्ध निदेशक	प्रतिनियुक्ति पर	1	1			
3	महा प्रबन्धक	प्रतिनियुक्ति पर	2	3			
4	क्षेत्रीय प्रबन्धक	37400–67000–8700	6	6			
5	प्रभागीय प्रबन्धक–लौगिग/विक्रय	15600–39100–6600	24	36			
6	लौगिग अधिकारी	15600–39100–5400	20	24			
7	उप लौगिग अधिकारी	9300–34800–4200	29	60	51	20	
8	सहायक लौगिग अधिकारी	5200–20200–2800	58	100			
9	लौगिग सहायक	5200–20200–2000	125	200			
10	स्केलर	5200–20200–1900	768	800	723	461	
11	मुख्य तकनीकी प्रबन्धक	15600–39100–5400	0	1			प्रस्तावित 01 नया पद (पदोन्नति से भरे जाने वाले)
12	उप मुख्य तकनीकी प्रबन्धक	5200–20200–4600	0	1			प्रस्तावित 01 नया पद (पदोन्नति से भरे जाने वाले)
13	वरिष्ठ तकनीकी प्रबन्धक	9300–34800–4200	0	2			प्रस्तावित 02 नया पद (पदोन्नति से भरे जाने वाले)

क्र.स.	पदनाम	वेतनमान(रू0में)	पूर्व में स्वीकृत पद	संशोधन के उपरान्त प्रस्तावित स्वीकृत पद	पूर्व में स्वीकृत अधिसंख्या पद	संशोधन के उपरान्त प्रस्तावित अधिसंख्य पद	अभ्युक्ति
14	तकनीकी प्रबन्धक	5200–20200–2800	2	4			
15	वित्त नियंत्रक	15600–39100–8700	1	1			वित्त सेवा से वेतनमान अपने संवर्ग के अनुसार
16	मुख्य सं.प्र./उ.वि.अ.	15600–39100–7600	1	1			
17	वरिष्ठ लेखा प्रबन्धक	15600–39100–6600	2	4			
18	लेखा प्रबन्धक	15600–39100–5400	5	5			
19	सहायक लेखा प्रबन्धक	9300–34800–4800	8	20			
20	लेखाकार	9300–34800–4200	29	55			
21	सहायक लेखाकार	5200–20200–2800	113	90			
22	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600–39100–5400	0	1			प्रस्तावित 01 नया पद (पदोन्नति से भरे जाने वाले)
23	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4800	1	2			क्रम संख्या–22से 27 पर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में स्टाफिग पैटर्न सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 06.10. 2015 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार वर्गीकृत किया गया है,जिसका उल्लेख इस शासनादेश के प्रस्तर–3 में किया गया है।
24	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4600	1	14			
25	प्रधान सहायक	9300–34800–4200	7	42			
26	वरिष्ठ सहायक	5200–20200–2800	50	54			
27	कनिष्ठ सहायक	5200–20200–2000	76	90	14		
28	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800–4800	0	2			प्रस्तावित 02 नया पद (पदोन्नति से भरे जाने वाले)
29	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800–4600	0	3			प्रस्तावित 03 नया पद (पदोन्नति से भरे जाने वाले)
30	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800–4200	2	2			
31	वैयक्तिक सहायक	5200–30200–2800	14	14			
32	नियोजन एवं मूल्यॉकन अधिकारी	15600–39100–4600	0	1			प्रस्तावित 01 नया पद (पदोन्नति से भरे जाने वाले)
33	सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800–4200	1	2			प्रस्तावित 01 नया पद (पदोन्नति से भरे जाने वाले)। पूर्व में सांख्यिकीय अधीक्षक का 01 पद स्वीकृत है।सांख्यिकीय अधीक्षक के पद नाम को सांख्यिकीय अधिकारी कर दिया गया है।
34	सांख्यिकीय सहायक	9300–34800–4200	2	2			
35	संकलन कर्ता	5200–20200–2800	2	8			

क्र.स.	पदनाम	वेतनमान(रू0में)	पूर्व में स्वीकृत पद	संशोधन के उपरान्त प्रस्तावित स्वीकृत पद	पूर्व में स्वीकृत अधिसंख्या पद	संशोधन के उपरान्त प्रस्तावित अधिसंख्य पद	अभ्युक्ति
36	चालक	5200–20200–2000	60	75			
37	डकिया	5200–20200–1800		72			
38	अर्द्दली	5200–20200–1800		55			
39	चपरासी/माली	5200–20200–1800	229	96	936		
40	फील्ड डाकिया	5200–20200–1800		85			
41	चौकिदार	5200–20200–1800		790			
42	जनसंपर्क अधिकारी	15600–39100–5400	0	1			प्रस्तावित 01 नया पद (कार्यो की अधिकता एवं न्यूनतम आवश्सकता)
43	विधि समन्वयक	9300–34800–4200	0	1			प्रस्तावित 01 नया पद (कार्यो की अधिकता एवं न्यूनतम आवश्सकता)
44	कम्पयूटर हार्डवेयर काडिनेटर	9300–34800–4200	0	1			प्रस्तावित 01 नया पद (कार्यो की अधिकता एवं न्यूनतम आवश्सकता)
	कुल योग		1640	2828	1724	481	

2– उपरोक्त तालिका के कालम –07 में उल्लिखित अधिसंख्या पद उसी अवधि के लिए सृजित/ उपलब्ध रहेंगे, जब तक कि उन पर कार्मिक कार्यरत हों, कार्मिको के सेवार्निवृत्त होने अथवा अन्यथा पद त्याग करने पर से पद स्वतः समाप्त हो जायेगें। कालम –07 में दर्शित पदो में से किन्ही पदो पर यदि कार्मिक कार्यरत न हेा अथवा सेवानिवृत्त हो गये हों या अन्यथा पद त्याग का दिया गया हो, तो ऐसे पद स्वतः समाप्त मान लिये जायें। इसी प्रकार यदि कालम –07 में दर्शित पदो के अतिरिक्त भी कोई नियमानुसार सृजित अधिसंख्य पद निगम में उपलब्ध हो तथा उस पर कोई कार्मिक कार्यरत हो तो ऐसे पद अधिसंख्य पद के रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक कि उस पर कार्यरत कार्मिक सेवानिवृत्त न हो जाय अथवा अन्यथा पद त्याग न कर दिया जाय।

3– उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 22 से 27 पर अंकित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के 203 पदों को निम्नानुसार स्टाफिंग पैटर्न के शासनादेश संख्या–35/XXX(2)/15–30(51)2015, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के अनुपात में रखा जायेगा।

क्र.स.	पदनाम	वेतनमान	प्रतिशत	कुल पद
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600–39100–5400	2 प्रतिशत	04 पद
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4800	10 प्रतिशत	20 पद
3	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800–4600	10 प्रतिशत	20 पद
4	प्रधान सहायक	9300–34800–4200	18 प्रतिशत	37 पद
5	वरिष्ठ सहायक	5200–20200–2800	28 प्रतिशत	57 पद
6	कनिष्ठ सहायक	5200–20200–2000	32 प्रतिशत	65 पद
	कुल योग		कुल पद	203 पद

4– उत्तराखण्ड वन विकास निगम के संरचनात्मक पुनर्गठन एवं कार्मिक ढांचे के निर्धारण सम्बन्धी समस्त पूर्व आदेश उपरोक्त सीमा तक अतिक्रमित/ संशोधित समझे जायेगे।

5– उपरोक्तानुसार संरचनात्मक पुनर्गठन/ कार्मिक ढांचे के निर्धारण में निहित अतिरिक्त व्यय–भार का वहन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अपने स्वयं के संसाधनो से किया जायेगा तथा शासन द्वारा इस हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नही होगी।

6– यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या–806/XXVii(7)2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

भवदीय

(एस0 रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– (1)/**X**-3.16.08(25)/2001 टी.सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित अनुभाग–1/7, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।